राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	254 / 2025	मोहन राम मेहरा	1. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर। 3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनू, नागौर।	श्री के.एस. लोहा
2	255 / 2025	सांवरमल शर्मा		
3	256 / 2025	प्रहलाद सिंह	1. राजस्थान राजय जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।	श्री प्रकाश चन्द भारती

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित तीनों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा समान प्रकार से प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण की सेवानिवृति में 6 माह से अधिक का समय शेष है, जिस कारण से अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थीगण की सेवानिवृति से सम्बन्धित दस्तावेज तैयार किये जाने है। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में सेवानिवृति का विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

नाम अपीलार्थी	जन्मतिथि	सेवानिवृति दिनांक	आलोच्य आदेश
मोहन राम नेहरा	09.10.1965	31.10.2025	09.01.2025 (अनुलग्नक–3)
सांवर मल शर्मा	07.12.1966	31.12.2026	09.01.2025 (अनुलग्नक–3)
प्रहलाद सिंह	अगस्त, 1965	अगस्त, 2025	09.01.2025 (अनुलग्नक–1)

3. हमनें अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि सभी अपीलों में अपीलार्थीगण की सेवानिवृति में 6 माह से अधिक का समय शेष है। ऐसे अपीलार्थीगण की सेवानिवृति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर

करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम समस्त अपीलों में कोई बल नहीं पाते है। अतः तीनों अपीलें खारिज की जाती है।

6. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 254/2024 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)